यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-7, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-7, देहरादून के माह 04/2017 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री कलवन्त सिंह, श्री सतेन्द्र कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.03.2020 से 18.03.2020 एवं 09.11.2020 से 23.11.2020 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार व श्री बी. बी. एम. त्रिपाटी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.06.2017 से 12.06.2017 तक श्री --------- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह -- से -- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - केदार पुरम, ISBT, क्लेमेन्टाउन, टर्नर रोड**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख मे)

वर्ष	**अर्जित राजस्व**
2017-18	9251.01
2018-19	359.82
2019-20	380.61

(ii) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना ()	गैर स्थापना ()	आवंटन ()	व्यय ()	आवंटन ()	व्यय ()		
		लागू नही						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
लागू नही					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त, राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त, राज्य कर**>** उपायुक्त, राज्य कर**>** सहायक आयुक्त, राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-7, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-7, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: -------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ---------- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 01 : उपखिनज की बिक्री पर कर का न्यूनारोपण ₹ 16.28 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : कर का न्यूनारोपण ₹4.53 लाख।

प्रस्तर- 02 : अधिक रिफ़ंड किया जाना ₹0.84 लाख।

प्रस्तर- 03 : कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 0.56 लाख।

प्रस्तर- 04 : आईटीसी रिवर्स न किया जाना ₹0.42 लाख एवं अर्थदण्ड ₹1.27 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 01 : उपखिनज की बिक्री पर कर का न्यूनारोपण ₹ 16.28 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II(B) के क्रमांक 78 के अनुसार Ores & Minerals excluding minor minerals के कर की दर 5% है।

पुनः उत्तराखंड शासन औधोगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार "खान मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना स॰ का॰ आ॰ 423(अ) दिनांक 10-02-2015 द्वारा जिप्सम को मिनरल्स से हटाकर minor minerals की श्रेणी मे कर दिया गया था।अतः उक्त की बिक्री पर अवर्गीकृत की भाति 13.5% एवं दिनांक 04.10.2020 से 14.5% की दर से कर आरोपणीय था।

(A) व्यापारी का नाम:- सर्व श्री राजू प्लास्टर

टिन: 05011892807

व्यापार जिप्मम पाउडर, पी.ओ.पी. आदि की खरीद बिक्री

कर निर्धारण वर्ष:- 2015-16 एवं 2016-17

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰)-7, राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त व्यौहारी के द्वारा 2015-16 मे स्वतः कर निर्धारण योजना अपनाई गई। Annual Return के अनुसार संगत वर्ष मे प्रांतीय बिक्री ₹6,062,720/- पर 5% की दर से ₹3,03,136/- का कर निर्धारण किया गया। व्यापारी द्वारा ₹87,636/- का ITC क्लेम करते हुए ₹2,15,500/- कर जमा किया गया।

नियमानुसार ₹6,062,720/- की बिक्री पर 13.5% की दर से ₹8,18,467/- कर निर्धारण होना था। अतः व्यापारी पर अंतरीय कर ₹5,15,331/- (8,18,467-3,03,136) और आरोपणीय था। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

इसी प्रकार संगत वर्ष 2016-17 मे 43 फार्म 16 का प्रयोग करते हुए प्रांत बाहर से जिप्सम व पी॰ओ॰पी॰ की ₹30,18,380/- की खरीद की गई तथा प्रांत के अंदर से ₹21,84,621/- की खरीद दर्शाई गई।

पत्रावली की जांच मे पाया गया की दिनांक 01-04-2016 से 03-10-2016 तक ₹36,66,940/- तथा दिनांक 04-10-2016 से 31-03-2017 तक ₹29,41,640/- की जिप्सम व पी॰ओ॰पी॰ की बिक्री की गई जिस पर अंतरीय दर क्रमशः 8.5% एवं 9.5% से क्रमशः ₹3,11,690/- एवं ₹2,79,455/- कुल ₹5,91,145/- कर और आरोपणीय था। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई के द्वारा आपत्ति के संबंध मे कोई आख्या न देते हुए यह कहा गया कि पत्रावली की जांच, विधिक पहलू तथा व्यापारी का पक्ष जानने हेतु प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु 10 दिवस यथा 03 दिसंबर 2020 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए।

(B) व्यापारी: सर्व श्री भनोट ट्रेडर्स
टिन: 05006037402
कर निर्धारण वर्ष : 2015-16 एवं 2016-17

लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त व्यौहारी के द्वारा 2015-16 मे स्वतः कर निर्धारण योजना अपनाई गई। Annual Return के अनुसार संगत वर्ष मे प्रांतीय बिक्री ₹28,45,663/- की जिप्सम पाउडर, वायर मेश[1], चैनल्स आदि पर 5% की दर से ₹1,49,935/- की कर देयता स्वीकार की गयी। अतः उक्त बिक्री पर अंतरीय कर की दर 8.5% की दर से ₹2,41,881/- का अंतरीय कर और आरोपणीय था। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

इसी प्रकार संगत वर्ष 2016-17 मे 46 फार्म 16 का प्रयोग करते हुए प्रांत बाहर से जिप्सम व पी॰ओ॰पी॰ की ₹26,11,458/- की खरीद की गई।

पत्रावली की जांच मे पाया गया कि दिनांक 01-04-2016 से 03-10-2016 तक ₹11,25,895/- तथा दिनांक 04-10-2016 से 31-03-2017 तक ₹19,38,920/- की जिप्सम आदि की बिक्री की गई जिस पर अंतरीय दर क्रमशः 8.5% एवं 9.5% से क्रमशः ₹95,701/- एवं ₹1,84,197/- कुल ₹2,79,898/- कर और आरोपणीय था। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई के द्वारा आपत्ति के संबंध मे कोई आख्या न देते हुए यह कहा गया कि पत्रावली की विस्तृत जांच, विधिक पहलू तथा व्यापारी का पक्ष जानते हुए प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु 10 दिवस यथा 03 दिसंबर 2020 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए।

इस प्रकार ₹16.28 लाख के कर के न्यूनारोपण का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

[1] अनुसूची-II के अनुसार Wire wash पर 5% की कर देयाता है, परन्तु व्यापारी के Annual Return में Wire wash की बिक्री स्पष्ट न होने के कारण पूर्ण बिक्री पर अंतरीय कर की गणना की गयी है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 01 : कर का न्यूनारोपण ₹4.53 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार, किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा। अधिनियम की धारा- 4(2)(ख)(i)(आ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है।

(A) कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड- 7, देहरादून में कर-निर्धारण वादों की जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री भारत मार्बल एण्ड ग्रेनाइट (टिन: 05005716429) के वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 (7) के अन्तर्गत दिनाँक 05.03.2019 को किया गया था।

कर निर्धारण आदेश के अवलोकन में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा 27 मैनुअल व 1 ऑनलाइन फार्म 16 का प्रयोग कर ₹35,91,209/- के मार्बल & ग्रेनाइट का आयात किया गया। आगे कर निर्धारण आदेश के अवलोकन मे पाया गया कि मात्र ₹32,91,209/- का आयात दर्शाया गया। इस प्रकार ₹3,00,000/- की खरीद कम दर्शाई गई। कम दर्शाई गई खरीद को बिक्री मानते हुए 13.5% की दर से ₹40,500/- के कर का न्यूनारोपण किया गया। जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी का पक्ष जानने के उपरांत कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा।

(B) कार्यालय में कर-निर्धारण वादों की जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री यश एंटरप्राइजेज़ (टिन: 05005798491) के वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 (7) के अन्तर्गत किया गया था।

कर निर्धारण आदेश के अवलोकन में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹ 3,96,139 के grinding stone आदि की बिक्री 5% की दर से गई जबकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित नहीं है। अतः उक्त बिक्री पर 13.5% की दर से कर देय होगा। अतः व्यापारी पर अंतरीय कर 8.5% की दर से ₹33,672/- का कर और आरोपणीय होगा जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि आपत्ति कोरोना महामारी के समय लगाई गई अतः व्यापारी का पक्ष जानने के उपरांत कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा।

(C) कार्यालय में कर-निर्धारण वादों की जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री डंगवाल एंटरप्राइजेज़ (टिन: 05012107759) के वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 (7) के अन्तर्गत किया गया था।

कर निर्धारण आदेश के अवलोकन में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹84,039/- के केमिकल की बिक्री 5% की दर से की गई जबकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित नहीं है। अतः उक्त बिक्री पर 13.5% की दर से कर देय होगा। अतः अंतरीय कर 8.5% की दर से ₹7,143/- के कर का न्यूनारोपन किया गया। जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी का पक्ष जानने के उपरांत कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा।

(D) कार्यालय में कर-निर्धारण वादों की जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री वीरा मार्बल हार्डवेयर एण्ड सैनिटरी (टिन: 05001147632) के वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 (7) के अन्तर्गत किया गया था।

कर निर्धारण आदेश के अवलोकन में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹24,38,450/- के मार्बल की बिक्री 5% की दर से की गई जबकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित नहीं है। अतः उक्त बिक्री पर 13.5% की दर से कर देय होगा। अतः अंतरीय कर 8.5% की दर से ₹2,07,268/- के कर का न्यूनारोपण किया गया। जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर ईकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

(E) कार्यालय में कर-निर्धारण वादों की जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री 92 हाउस (टिन: 05014453704) के वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 (7) के अन्तर्गत दिनाँक 04.12.2019 को किया गया था।

कर निर्धारण आदेश के अवलोकन में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा इलेक्ट्रानिक खरीद क्रमशः ₹12,35,320/- व ₹5,11,015/- पर 13.5% व 14.5% की दर से क्रमशः ₹1,66,768/- व ₹74,097/- कुल ₹2,40,865/- आई॰टी॰सी॰ का क्लेम किया गया व कर

निर्धारण मे उसका लाभ दिया गया। संगत वर्ष मे पत्रावली की जांच मे पाया गया कि व्यापारी द्वारा अपना व्यापारिक विवरण इस प्रकार दिया गया:

	प्रा॰ रहतिया	**खरीद**	**बिक्री**	**अ॰ रहतिया**
13.5%	2147869	1235320	1155076	1175400
14.5%		511015	427556	00
कुल	2147869	1746335	1582632	1175400

उक्त व्यापारिक विवरण के अनुसार बिक्री निम्न प्रकार होनी चाहिए:

बिक्री (लाभ रहित) = प्रा॰ रहतिया+खरीद-अ॰ रहतिया

= 21,47,869+17,46,335-11,75,400 = 27,18,804/-

अतः अंतरीय बिक्री ₹11,36,172(27,18,804-15,82,632) पर 14.5% की दर से ₹1,64,745/- कर का न्यूनारोपण किया गया। जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं ब्याज भी देय होगा।

अतः कर के न्यूनारोपण ₹4.53 लाख के राजस्व क्षति का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 'ब'</u>

प्रस्तर- 02 : अधिक रिफ़ंड किया जाना ₹0.84 लाख।

संविदाकार सर्व श्री कुशाल सिंह गुंसाई के कर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावली के अवलोकन मे पाया गया कि संविदाकार को संगत वर्ष में सकल भुगतान ₹32,58,907/- प्राप्त हुआ था। कर निर्धारण वाद धारा 25(7) के अंतर्गत किया गया था।कर निर्धारण वाद मे 30% लेबर खर्च अनुमन्य किया गया है जिस पर **₹6,38,456/-** की छूट दी गई। उक्त के अतिरिक्त अर्थ वर्क मे ₹10,53,395/- की छूट दी गई है।क्योंकि वाद 25(7) के अंतर्गत किया गया है अतः अर्थवर्क पर ₹10,53,395/- की छूट अनुमन्य नहीं है जिस पर नियमानुसार कर लगाया जाना चाहिए।

कर निर्धारण वाद के अनुसार सीमेंट, टी॰एम॰टी॰ व रोड़ी बजरी का अनुपात 26:54:20 निर्धारित किया गया है। इस प्रकार ₹1053395 मे सीमेंट 273882 टी॰एम॰टी॰ 568833 एवं रोड़ी 210679 पर कर देय है।

	धनराशि	**कर की दर**	**कर**
सीमेंट	273882	13.5%	36974
टी॰एम॰टी॰	568833	5%	28441
रोड़ी	210679	9%	18961
कुल			**84376**

इस प्रकार ₹84,376/- के कर का न्यूनरोपन किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर इकाई के द्वारा बताया गया कि संविदाकार के द्वारा संविदा कार्य मे अर्थवर्क का कार्य किया गया जो अनुबंध के अनुसार है चूंकि अर्थवर्क मे किसी प्रकार के माल का अंतरण नहीं किया गया अतः कोई बिक्री नहीं हुई है इसी क्रम मे अर्थ वर्क को पूर्णता छूट है। इसके अतिरिक्त उ॰म॰व॰क॰ नियमावली के नियम 14 के अनुसार लेबर कार्य मे भी छूट

अनुमन्य है आडिट आपत्ति के बिन्दु 2 के अनुपालन मे अनुबंध एवं Estimate की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। अतः उक्त आपत्ति निक्षेप योग्य है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यूँकि साक्ष्य के संबंध मे अनुबंध एवं Estimate उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही अर्थ वर्क एवं लेबर कार्य मे एक साथ छूट के संबंध मे कोई नियम आदेश लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये।

अतः अधिक रिफ़ंड की राशि ₹84,376/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 "ब"</u>

प्रस्तर- 03 : कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 0.56 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली- 2005 के नियम-11 के अनुसार कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ₹50 लाख से अधिक है, उसे उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा करना है एवं जिसका सकल आवर्त ₹50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत यदि किसी व्योहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया गया है तो वह न्यूनतम 10% की दर से अर्थदण्ड का दायी होगा।

(i) यदि विलम्ब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा (31.03.2015 से)।

(ii) यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो तथा देय कर ₹20 हजार तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 20 प्रतिशत और यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹20 हजार से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 30 प्रतिशत अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त(क॰नि॰), खण्ड-7, राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न व्यौहारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर विलम्ब से जमा कराया गया था, जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था:

व्यापारी का नाम/टिन सं.	माह		कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब		कर की राशि (₹ में)	अर्थदण्ड की दर (% में)	अर्थदण्ड की राशि (₹ में)
	From	To			माह	दिन			
M/S Newton Health Care(Tin 05008846522)	04/15	06/15	20.07.15	12.08.15		23	47600	5	2380
	01/16	03/16	20.04.16	24.06.16	2	4	78000	20	15600
M/S Pawan Marbles(Tin 05005598186)	4/2015	6/2015	20.07.15	21.07.15		1	86151	5	4308
	7/2015	9/2015	20.10.15	29.10.15		9	420660	5	21033
M/S Siddhi Enterprises(Tin 05009893540)	07/2014	09/2014	20.10.14	29.10.14		9	13634	10	1363
	01/2015	03/2015	20.04.15	27.04.15		7	10467	10	1047
M/S Army Traders(Tin 05000469408)	4/2016	6/2016	20.07.16	25.07.16		5	26153	5	1307
	7/16	9/16	20.10.16	26.10.16		6	19000	5	950
	1/17	3/17	20.04.17	28.04.17		8	71360	5	3568
M/S satybhama associates (Tin 05010925911)	5/15		20.06.15	27.06.15		7	3810	5	190
	6/15		20.07.15	27.07.15		7	5274	5	263
	7/15		20.08.15	27.08.15		7	6407	5	320
	8/15		20.09.15	28.09.15		8	5457	5	272
	10/15		20.11.15	30.11.15		10	2918	5	146
	11/15		20.12.15	05.01.16		16	6141	5	307
	12/15		20.01.16	30.01.16		10	23145	5	1157
	1/16		20.02.16	05.03.16		14	8035	5	401
	2/16		20.03.16	31.03.16		11	4777	5	238
	3/16		20.04.16	28.04.16		8	24516	5	1225
Total									**56075**

अतः उपरोक्तानुसार विलम्ब से कर जमा कराये जाने पर ₹56075 का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कि अधिरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी का पक्ष जानते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 "ब"</u>

प्रस्तर- 04 : आईटीसी रिवर्स न किया जाना ₹0.42 लाख एवं अर्थदण्ड ₹1.27 लाख।

धारा-58 (1)(XI) के अनुसार: यदि कोई व्योहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि के तीन गुणा धनराशि जो भी अधिक हो, के अर्थदण्ड का दायी होगा।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2005 की अनुसूची- III के क्रमांक-9 के अनुसार Timber and wood of all kinds and of all trees, of whatever species, whether growing or cut or sawn but their products and firewood is not included, कर Morl के बिन्दु पर देय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-7, राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री एस॰एस॰ ट्रेडर्स एंड सैटरिंग हाउस, देहरादून (टिन-05011788726) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण वाद के अवलोकन मे पाया गया कि व्यापारी द्वारा लकड़ी की प्रांतीय खरीद पर 15% की दर से ₹42,434/- के आई॰टी॰सी॰ का क्लेम किया गया तथा कर निर्धारण वाद मे उसका लाभ दिया गया।

नियमानुसार व्यापारी को लकड़ी की प्रांतीय खरीद ₹2,82,903/- पर आई॰टी॰सी॰ ₹42,334/- का लाभ देय नहीं था। अतः ₹42,334/- की आई॰टी॰सी॰ को रिवर्स करते हुए उस पर नियमानुसार तीन गुना ₹1,27,002/- का अर्थदण्ड भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी का पक्ष जानने के पश्चात कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
37/2011-12	-	03	-
08/2015-16	-	01,02,03,04,05	-
CT-26/2017-18	-	01,02,03,04	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-7, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
3. टिप्पणी- शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम (सर्वश्री)	पदनाम
(i)	श्री सुरेश कुमार,	सहायक आयुक्त
(ii)	श्री जयदीप सिंह रावत,	सहायक आयुक्त
(iii)	श्री योगेश रावत ,	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV